

16/9/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वरि अपना
कारिगर्ह की ओर से कोई इशारे
नहीं है। न्यायालय परिसर के
बाहर बार-बार आवाज लगावई
गई, वाकनूद आवाज के भी कोई
हजरि नहीं आया। प्रतीत होता
है कि वकील अपने वाद के पूरी
उदासीन हैं तथा वाद को आगे
चलाना नहीं चाहता। अतः वाद
वकील अदम हजरी अदम पैरवी
में खारिज किया जाता है,
पत्रावली केसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो। कारिगर्ह
कपूर हो।

